भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3321

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना की कमी

3321 श्री नारायण दास गुप्ताः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा इंगित की गई देश में न्यायिक अवसंरचना की कमी का आकलन कराया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बेहतर न्यायिक अवसंरचना के निर्माण हेतु आवंटित निधि का उचित उपयोग करने के लिए सीजेआई द्वारा इंगित वैधानिक प्राधिकरणों को नियुक्त करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों में वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो भारतीय न्यायपालिका में पिछले शेष कार्य से संबंधित वर्तमान आंकड़े क्या हैं; और

(घ) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है जैसा कि सीजेआई द्वारा इंगित किया गया है, यदि हां, तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के संस्वीकृत और रिक्त पदों से संबंधित वर्तमान आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार अध्यक्ष सह संरक्षक के रूप में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति एक शासी निकाय होगा। प्रस्ताव में अन्य मुख्य

विशेषताएं यह हैं कि भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना की योजना, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा। प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है, क्योंकि इस मामले पर विचार करने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचारों के लिए वे एक महत्वपूर्ण पणधारी हैं।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के लिए, संघ सरकार केन्द्र राज्यों के बीच विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है। यह जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय ईकाइओं के संनिर्माण को कवर करती है । अपनी स्थापना के बाद से अब तक स्कीम के अधीन 8758.71 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है, जिसमें से 2014-15 से अब तक 5314.40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जो लगभग (60.68) फीसदी है। कुल 9000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय के साथ स्कीम 2021-22 से 2025-26 तक के लिए जिसमें 5307.00 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित है, बढा दी गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और शौचालयों के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है।

उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया हैः-

(25.03.2022 तक)

न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय *	70,154
उच्च न्यायालय	58,90,812
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,11,09,709

* 02.03.2022 तक

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या और कार्यरत पद संख्या की प्रास्थिति निम्नानुसार हैः-

(25.03.2022 तक)

उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्ति
	1104	717	387

2013 में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में आयोजित विचार-विमर्श के साथ यह संकल्प लिया गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या बढाई जा सकती थी । तत्पश्चात विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बढा दी गई थी । वर्तमान में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 906 से बढकर 2022 में 1104 हो गई है ।

****